...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...र्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
35/21	136 LR Act	पौंडी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कन्हैयालाल	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :- नारायण लाल पैरोकार

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12/10/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.11.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7/3/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 14.3.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
14/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम ढीमरपुरा तहसील छबड़ा के खाता संख्या 7/7 ख.न. 20/1 रकबा 1.13 बीघा, ख.न. 42/1 रकबा 0.01 बीघा ख.न. 125/1 रकबा 1.13 बीघा, ख.न. 126/1 रकबा 3.13 बीघा ख.न. 127/1 रकबा 1.05 बीघा ख.न. 129/1 रकबा 0.08 बीघा कुल किता 6 रकबा 8.13 बीघा भूमि स्थित है जिसकी दर्ज जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कन्हैया दर्ज है। जिसके स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 136 LR Act को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जमाबंदी सं० 2072-2075 तथा आधार	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	कार्ड की प्रति, व राशन कार्ड की प्रति तथा बैंक डायरी की फोटो प्रति पेश की है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए पुन बताया कि प्रार्थी की ग्राम टीमरपुरा तह० छबड़ा में भूमि खाता स० 7/7, ख.न. 20/1, रकबा 1.13 बीघा ख.न. 42/1, रकबा 0.01 बीघा ख.न. 125/1, रकबा 1.13 बीघा ख.न. 126/1, रकबा 3.13 बीघा ख.न. 127/1, रकबा 1.05 बीघा ख.न. 129/1, रकबा 0.08 बीघा कुल किता 6 रकबा 8.13 बीघा भूमि में प्रार्थी का नाम कन्हैया के स्थान कन्हैयालाल दुरस्त करने की कृपा करावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। सरकार पेशकार तहसीलदार, छबड़ा द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। पक्षकारान/वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एंव पत्रावली के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी ग्राम टीमरपुरा के खाता संख्या 7/7 मे प्रार्थी का नाम कन्हैया के स्थान पर कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल दुरस्त किया जाना उचित होगा। क्रियात्मक आदेश उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टीमरपुरा तहसील छबड़ा की आराजी भूमि खाता संख्या 7/7 कुल किता 6 रकबा 8.13 बीघा भूमि में प्रार्थी का नाम कन्हैया के स्थान पर कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है। तहसीलदार तद्नुसार पालना सुनिश्चित करे। निर्णय प्रति तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबड़ा, जिला बारां (राज०)